

28-11-2021

परावली पेश। बहुलाय वसीर। अत्रार्थी
 सेखा ①, ② के अधिकार ने अत्रार्थी
 सेखा ①, ② का उनके सम्पर्क में नही
 होना कबाल कराया। सम्पर्क में नही
 होने से जबाब प्रस्तुत करके अत्रार्थी
 दर्शाई है। प्रार्थोग्य के अधिकार ने
 अपने कथन में बताया कि प्रार्थना
 पत्र में वर्णित सम्पत्ति पैतृक है।
 शास्त्र रेकर्ड में सम्पत्ति अत्रार्थी
 के नाम दर्ज है। पुस्तनी कथ से यह
 सम्पत्ति हमारे पास आई है। प्रार्थना
 पत्र के चरण विद्या 2 में वर्णित
 भूमि का खचारा होने तक प्रार्थोग्य
 के हितों का मौका एवं रेकर्ड की
 त्थिति थपावत रखने निर्देश किया
 गया। बहुलाय की वद परावली में
 मेलन प्रार्थना पत्र, दलावेत का गहन
 अध्ययन किया गया। प्रार्थोग्य का
 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना है।
 प्रार्थोग्य के हितों की भूमि का
 मौका एवं रेकर्ड की त्थिति थपावत
 बनाये रखे। परावली फासल शुभल
 होना भूल परावली के साथ मिलनी



उपखण्ड अधिकारी
 बांसवाड़ा (राज.)